GCMS No.- 2025/82

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी	अप्रार्थी
सदिक खान पुत्र श्री रावत खान, निवासी देलदर, तह. व जिला सिरोही।	**राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही।**

किस्म मुकदमा,
राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट — रा.प्रा.पत्र सं. 59/2025

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19.11.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री भंवरसिंह देवड़ा व स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/1053 दिनांक 18.11.2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली किया, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार, सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार राजस्व ग्राम देलदर, पटवार हल्का मंडवारिया में जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता सं. 41 खसरा सं. 336 रकबा 4.9300 हैक्ट. की सहखातेदारी की आराजी में प्रार्थी का खातेदार के रूप में नाम सादिक खान पि. रावतखान दर्ज है जो अशुद्ध है। उपरोक्त आराजी का 1/8 हिस्सा प्रार्थी ने क्रय कर विक्रय विलेख सं. 2016001356 दिनांक 08.08.2016 को सदिक खांन पुत्र रावत खांन के नाम पंजीयन कार्यालय उपपंजीयक, सिरोही में पंजीकृत करवाया था। परन्तु नामान्तकरण सं. 289 दिनांक 28.11.2016 में उक्त विक्रय विलेख को स्वीकृत कर खातेदार का नाम सदिक खान के स्थान पर सादिक खांन त्रुटिवश दर्ज किया गया। प्रार्थी के आधार कार्ड में नाम सदिक खांन है। अतः राजस्व रेकर्ड में सादिक खांन के स्थान पर सदिक खांन किया जाना उचित है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***राजस्व ग्राम देलदर, पटवार हल्का मंडवारिया के खाता सं. 41 खसरा सं. 336 रकबा 4.9300 हैक्ट.की आराजी में खातेदार का नाम सादिक खान के स्थान पर सदिक खान संसोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। **लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)** **सिरोही**	